न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी : लोक बंधु, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 26/2021

अपीलांट– ***बनाम*** **रेस्पोडेंट्स –**

अपीलांट–

गंगाराम पुत्र धूड़ाराम जाति जाट निवासी बेरीवाला गांव, कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. नारणाराम पुत्र धूड़ाराम निवासी देवाणियों की ढाणी, शिवकर तहसील व जिला बाड़मेर
2. चैनाराम पुत्र धूड़ाराम
3. थानाराम पुत्र धूड़ाराम
4. पुरखाराम पुत्र धूड़ाराम
5. रामाराम पुत्र सिदाराम
6. तीजों पत्नी सिदाराम
   जाति जाट निवासी बेरीवाला गांव कुड़ला तहसील व जिला बाड़मेर
7. तहसीलदार बाड़मेर
8. शाखा प्रबन्धक, एसबीआई शाखा कुड़ला

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम, 1955 विरूद्ध आदेश दिनांक 19.06.2018 जो संयुक्त खातेदारी की भूमि के विभाजन हेतु तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पारित किया।

उपस्थिति :–

1. श्री सुनील बीएल रामावत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री धनराज जोशी, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1 व 4से6 की ओर से उपस्थित।
3. श्री पदमाराम परिहार, अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 2 व 3 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेंट सं. 7 व 8 प्रफॉर्मा पक्षकार।

न्यायालय जिला कलक्टर
सत्यमेव जयते
बाड़मेर (राजस्थान)

निर्णय

Signature Not Verified

दिनांक : 27.10.2021

Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:45:09 IST
Reason: SelfAttested

1. अपीलांट की ओर से यह अपील धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत रेस्पोडेंट तहसीलदार बाड़मेर के द्वारा कृषि भूमि के विभाजन हेतु पारित आदेश दिनांक 19.06.2018 के विरूद्ध पेश की गई हैं।

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा बेरीवाला गांव के खेत खसरा नम्बर 652/366, 503, 504, 651/366 रकबा क्रमशः 79–10, 00–04, 33–08, 45–18 बीघा भूमि के खातेदारान नारणाराम, चेनाराम, थानाराम, पुरखाराम, गंगाराम पि० धूड़ा, रामाराम वल्द सिदाराम, तीजों देवी पत्नी सिदाराम कौम जाट सा० देह ने दिनांक 19.06.2018 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत कुड़ला द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी कुड़ला द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि वर्तमान जमाबन्दी मौजा बेरीवाला गांव के खाता संख्या 51, 67 खसरा न. 652/366, 503, 504, 651/366 रकबा क्रमशः 79–10, 00–04, 33–08, 45–18 बीघा का विभाजन प्रस्ताव संलग्न नक्शा एवं इकरारनामा अनुसार सही हैं, मौके पर उक्त खातेदारान इसी अनुसार काबिज हैं। प्रत्येक खातेदार का रकबा व लगान हिस्से के अनुसार सही हैं तथा सभी खातेदारान इससे सहमत हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2018 पारित किया गया। अपीलांट ने उक्त विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 07.07.2021 को प्रस्तुत की गई है तथा अपील प्रस्तुत करने मे हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया।

3. अपीलांट की अपील मयाद के बिन्दु पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट्स को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन मूल अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया।

4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा अपीलांट्स व रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण को सुना। अपीलांट के योग्य अधिवक्ता ने प्रकट किया कि मौजा बेरीवाला गांव के खेत खसरा नम्बर 366 में से 79–10 बीघा भूमि दिनांक 22.09.1969 को [illegible] कूसा ने मोल प्रतिफल अदा कर खरीद की थी जिसमें ना[illegible] चे[illegible] एवं धूड़ा प्रत्येक का 1/3 हिस्सा था। इसके पश्चा[illegible]लांट व उसके भाईयों रेस्पो० थाना, पुरखा व रेस्पो० सं. 5 व 6 के पिता–पति सिदाराम ने संयुक्त रूप से खसरा नम्बर 366 में से 45–18 बीघा, खसरा नम्बर 504 रकबा

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:45:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला (सत्यमेव जयते) बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

33–08 बीघा, खसरा नम्बर 503 रकबा 00–04 बीघा गैर मुमकीन ढाणी कुल 79–10 बीघा मोल प्रतिफल अदा कर खरीदी थी। इस खरीद की गई भूमि पर केवल चारों भाईयों का कब्जा काश्त था। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2018 में चलाये गये प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत शिविर में अपीलांट को रेस्पोडेंट ने विश्वास में लेकर व गुमराह कर खेतों का विभाजन कब्जे–काश्त एवं रजिस्ट्री अनुसार करवाने हेतु कहकर पटवारी हल्का के पास ले गये तथा चालाकी से खाली कागजों पर अपीलांट के हस्ताक्षर करवा दिये। अपीलांट ने अपने पड़े भाईयों पर विश्वास कर हस्ताक्षर अंकित किये थे किन्तु रेस्पोडेंट्स ने अपनी मनमर्जी से अपीलांट के साथ धोखा कर नुकसान पहुंचाने के आशय से सहमति विभाजन करवा दिया। अपीलांट को उसके द्वारा क्रय की गई एवं पिता से बंट में आई भूमि से कम भूमि दी गई एवं अपीलांट की वर्षों पुरानी कीमती व उपजाउ भूमि से वंचित कर मुख्य सड़क वाली कीमती भूमि रेस्पोडेंट्स ने हड़ ली तथा अपीलांट को एकल धोरे वाली भूमि दे दी गई। अपीलांट को रेस्पोडेंट्स की उक्त चालाकी का ज्ञान नहीं था तथा न ही राजस्व रेकर्ड को देखने की आवश्यकता हुई। अर्सा 20 दिन पूर्व अपीलांट वक्त खरीद से काबिज होकर काश्त कर रहे खेत खसरा नम्बर 651 / 366, 503 व 504 जिसमें अपीलांट की ढाणियां, टांके व चारबाड़े बने हुए हैं में बारीश का मौसम देखकर सूड़ करने लगा तो रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट्स को सूड़ करने से रोका व झगड़ा करने पर आमादा हुए। इस पर अपीलांट ने तहसील कार्यालय दिनांक 25.06.2021 को सहमति विभाजन की नकले प्राप्त की तब पता चहा कि राजस्व कर्मचारियों की मिलावट से रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट के साथ धोखाधड़ी द्वारा खरीदशुदा भूमि की जगह अन्य अनुउपजाउ भूमि अपीलांट को दी गई हैं। इस पर अपीलांट को सर्वप्रथम अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने से अन्दर मयाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं फिर भी अज्ञानतावश हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत हैं।

5. अपीलांट के अधिवक्ता ने यह भी निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बाड़मेर द्वारा अलग–अलग पंजिबद्ध दस्तावेजों के द्वारा क्रय की गई भूमि में बिना सक्षम [illegible] के आदेश या हकतर्क के खतों को संयुक्त कर सह[illegible]देश पारित करने में भारी भूल की गई है। अपीलांट को [illegible] खरीद से खसरा नम्बर 651 / 366, 503, 504 की भूमि मे 1 / 4 हि[illegible] पर रेकर्डेड कब्जा–काश्त व रहवास हैं जिसमें अपीलांट की ढाणी, टांके, बाड़े आदि वर्षों पुराने बने हुए

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:45:09 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हैं, अपीलांट वहीं अपनी भूमि विभाजन में प्राप्त करने का अधिकारी था परन्तु रेस्पोडेंट्स ने अपीलांट के हिस्से की भूमि सड़क निकलने से हुई कीमती भूमि हड़पने के आशय से धोखाधड़ी कर विधि विरूद्ध विभाजन प्रस्ताव तैयार करवाया हैं जो निरस्त योग्य हैं। अतः अपीलांट की अपील अन्दर मयाद शुमार करते हुए स्वीकार की जावें तथा अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2018 को खसरा नम्बर 651/366, 503, 504, 652/366 की सीमा तक सहमति विभाजन रास्ते की समर्पण भूमि को छोड़ते हुए निरस्त किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

6. रेस्पोडेंट्स सं. 2व3 की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर अपीलांट की अपील की ताईद की गई तथा अपीलाधीन विभाजन आदेश को निरस्त कर पुनः नये सिरे विभाजन कराये जाने का निवेदन किया।

7. रेस्पोडेंट्स सं. 1 व 4से6 की ओर से अधिवक्ता द्वारा जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रस्तुत अपील मयाद बाहर हैं तथा मेरीट पर निर्णय से पूर्व मयाद के बिन्दु पर विचार किया जावें। इसके साथ ही यह भी प्रकट किया कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम में सहमति से हुए विभाजन के संबंध में अपील करने का कोई प्रावधान अंकित नहीं हैं ऐसी दशा में उक्त अपील विचारण योग्य नही हैं। अपीलांट एवं रेस्पोडेंट सं. 1से6 ने अपनी संयुक्त खातेदारी की भूमि का मौके पर कब्जा–काश्त एवं हिस्सा अनुसार आपसी सहमति से विभाजन करने हेतु विभाजन इकरारनामा मय विभाजन नक्शा तैयार करवाकर तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार बाड़मेर द्वारा पक्षकारान की सहमति एवं हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर पूर्णतया विधिनुसार इकरारनामा स्वीकृत किया गया हैं जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा निराधार एवं कपोल कल्पित आधारों पर यह अपील प्रस्तुत की गई हैं। अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश की जानकारी फरवरी 2020 में होना अंकित किया हैं तथा विलम्ब का कारण कोविड महामारी होना बताया हैं जबकि कोविड महामारी का प्रभाव मार्च 2020 से प्रारम्भ हुआ था, इसके अलावा भी अपीलाधीन आदेश वर्ष 2018 में पारित हुआ हैं जो कोविड महा[illegible] अपीलांट ने उक्त दो वर्ष की विलम्ब अवधि का कोई समुचित कारण प्रकट नहीं किया हैं जबकि अपीलाधीन आदेश उसकी [illegible] पारित किया गया हैं। मयाद अधिनियम के प्रावधानों अनुसार सद्भाविक विलम्ब को माफ करने हेतु आवेदन पत्र में विलम्ब के समुचित कारणों को दर्शित किया जाना आवश्यक

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:45:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
सत्यमेव जयते

Lok
जिला कलक्टर
बाड़मेर

हैं किन्तु हस्तगत अपील में करीबन 3 वर्ष के असाधारण विलम्ब के सम्बन्ध में कोई युक्तियुक्त एवं सद्भाविक कारण का उल्लेख प्रार्थना–पत्र में नहीं किया गया हैं। इस प्रकार अपीलांट की अपील पूर्णतया मयाद बाहर होने से खारिज किया जाना न्यायोचित है।

8. हमने अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्तागण द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन अभिलेख का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा बेरीवाला गांव के खेत खसरा नम्बर 652 / 366, 503, 504, 651 / 366 रकबा क्रमशः 79–10, 00–04, 33–08, 45–18 बीघा भूमि के खातेदारान नारणाराम, चेनाराम, थानाराम, पुरखाराम, गंगाराम पि0 धूड़ा, रामाराम वल्द सिदाराम, तीजों देवी पत्नी सिदाराम कौम जाट सा0 देह ने दिनांक 19.06.2018 को तहसीलदार बाड़मेर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के संलग्न विभाजन नक्शा अनुसार आपसी रजामंदी व समझौता से भूमि व उस पर बनने वाले लगान का विभाजन करने का निवेदन किया। पक्षकारान की पहचान सरपंच ग्राम पंचायत कुड़ला द्वारा की गई तथा हल्का पटवारी कुड़ला द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि वर्तमान जमाबन्दी मौजा बेरीवाला गांव के खाता संख्या 51, 67 खसरा न. 652 / 366, 503, 504, 651 / 366 रकबा क्रमशः 79–10, 00–04, 33–08, 45–18 बीघा का विभाजन प्रस्ताव संलग्न नक्शा एवं इकरारनामा अनुसार सही हैं, मौके पर उक्त खातेदारान इसी अनुसार काबिज हैं। प्रत्येक खातेदार का रकबा व लगान हिस्से के अनुसार सही हैं तथा सभी खातेदारान इससे सहमत हैं। इस पर तहसीलदार बाड़मेर द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट एवं पक्षकारान की सहमति के आधार प्रस्तुत विभाजन इकरारनामा स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड मे अमल दरामद किये जाने का अपीलाधीन आदेश दिनांक 19.06.2018 पारित किया गया। अपीलांट द्वारा राजस्व अभियान प्रशासन गांवों के संग में उक्त विभाजन कराने के बाद अपने–अपने हिस्से की भूमि के खातेदार दर्ज हो जाने के 3 वर्ष बाद राजस्व रेकर्ड में फेरबदल कराने हेतु यह अपील प्रस्तुत की जा रही हैं। यद्यपि रेस्पोडेंट्स सं. 2 व 3 द्वारा हस्तगत अपील में अपीलांट के कथनों की ताईद की हैं किन्तु रेस्पोडेंट सं. 1 व 4से6 ने इसका विरोध करते हुए अपीलांट की सहमति एवं जानकारी के आधार पर यह अपील मयाद बाहर होने से खारिज [illegible] जाने का निवेदन किया हैं। अधीनस्थ न्यायालय तह[illegible] अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स द्वारा अपीलाधीन विभाजन प्रस्ताव पर [illegible] से स्वयं अंगुठा / हस्ताक्षर कर विभाजन के लिये आवेदन किया गया हैं। [illegible] प्रकार अपीलांट एवं रेस्पोडेंट्स को बंटवाड़े व रास्ते की समर्पण भूमि की सम्पूर्ण जानकारी होना प्रतीत होता

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:45:09 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

हैं। अतः अपीलांट्स का यह कहना कि अपीलाधीन विभाजन के वास्तविक तथ्य उनकी जानकारी में नही थे, उचित प्रतीत नही होता है। अपीलांट द्वारा अपीलाधीन विभाजन स्वीकृति आदेश के विरूद्ध लगभग 3 साल बाद यह अपील प्रस्तुत की गई हैं तथा विलम्ब के सम्बन्ध में कोई ठोस एवं तथ्यात्मक कारण नहीं दर्शाया हैं। अधिवक्ता रेस्पोडेंट द्वारा मयाद के संबंध में न्यायिक निर्णय नजीर आरबीजे 2000 पेज 706, 2021(2) डीएनजे पेज 804, 2021(1) आरआरटी पेज 130 व अन्य प्रस्तुत की गई हैं जिसमे माननीय न्यायालयों द्वारा यह निर्धारित किया गया हैं कि बिना विलम्ब माफ करने के प्रार्थना–पत्र निस्तारण किये अपील पर सुनवाई एवं निर्णय पारित नहीं किया जा सकता हैं। इसके अलावा यह भी निर्धारित किया गया हैं कि मयाद को निर्णित करने के समय प्रकरण के गुण–अवगुण को मध्यनजर नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा निर्णय नजीर एआईआर 2011 सुप्रिम कोर्ट 1237 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह निर्धारित किया गया हैं कि विलम्ब का युक्तियुक्त कारण के अभाव में अपील मयाद बाधित होने से खारिज योग्य हैं। इस प्रकार अपीलांट की यह अपील मयाद बाधित हैं तथा विलम्ब का कोई ठोस एवं युक्तियुक्त कारण दर्शित नहीं किये जाने से खारिज योग्य हैं।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील सारहीन एवं आधारहीन कथनों पर आधारित होने के साथ–साथ मयाद बाहर होने से खारिज की जाती हैं।

10. निर्णय आज दिनांक 27.10.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Lok
(लोक बंधु)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2021.12.30 17:45:09 IST
Reason: SelfAttested